


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1400/2015.....जिला.....धौलपुर.....

उनवान-मुन्नी देवी पत्नी पप्पू सिंह, निवासी-दौपुरा(धौलपुर) बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक बसेड़ी
अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य</p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री अजीत लोढा एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर. के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि अभी हाल में राजस्थान सरकार के वित्त(कर) विभाग द्वारा दिनांक 16.12.14 की अधिसूचना जारी की गई है उक्त अधिसूचना के तहत प्रार्थी निगरानी को विद्वान करना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी द्वारा निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने से जरिये विद्वान की जावे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1400/2015/धौलपुर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  12-2-2016 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </p>	